न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/29/2020	2020/00044	17-09-2020	28-01-2021

01- त्रिलोक पुत्र सुआलाल जाति जोगी निवासी ग्राम बगड़ राजपूत तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

-अपीलांट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

-रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 02.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 100/2020

उपस्थितः-

01-श्री अशोक कुमार चांगल -वकील अपीलाण्ट

-:निर्णयः-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 02.09.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम बगड़ राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 1.10 है0 में से 0.30 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बगड़ राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 1.10 है0 में से 0.30 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 07.08. 2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को दि0 11.06.2020 को बेदखल किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 02.09.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा पेश शपथ-पत्र दिनांक 16.09.2020 के द्वारा विवदित आराजी से कब्जा छोड़ना बताया है तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का मौके पर खाली है व कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को आरोपित दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28-01-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)